

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHI POLICE



एडीजीसी श्री राम
प्रकाश तिवारी



पैरोकार हे०का०
दिवाकर सिंह

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,00,000/- रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा उ०नि० शिव नारायण सिंह द्वारा दिनांक 23.12.2021 समय 00.20 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से 01.125 कि०ग्रा० मारफीन बरामद होने पर मु०अ०सं० 301/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी पर पंजीकृत कराया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध कारायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 07.07.2025 को माननीय न्यायालय एसजे/एफटीसी-1 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को **10 वर्ष कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को **10 वर्ष कठोर कारावास**।
- ☐ अभियुक्त को **1,00,000 रुपये अर्थदण्ड**, अर्थदण्ड न अदा करने पर **06 माह अतिरिक्त कारावास**।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- अभियुक्त **कमल शर्मा पुत्र नरेन्द्र शर्मा निवासी बड़े घुसवल थाना गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ**



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी